

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, खूँटी (विकास शाखा)

—: अति अल्पकालीन पुर्ननिविदा :-

माननीय सांसद (राज्यसभा), श्री महेश पोद्दार के अनुशंसा के आलोक में सांसद मद से TATA Yellow Winger School Van BS VI हेतु वाहन तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में EAP-SDG आकांक्षी जिला कार्यक्रम नीति आयोग के Plan of Action के अन्तर्गत Transportation for Model School के लिए School Bus BS VI (21 Seater/24 Seater/26 Seater) का क्रय किया जाना है। इस संबंध में मुहरबन्द पुर्ननिविदा आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक निविदादाता निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 14.10.2020 के अप0 01:00 बजे तक डाक अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से TATA Yellow Winger School Van BS VI हेतु उप विकास आयुक्त, खूँटी के कार्यालय में एवं School Bus BS VI (21 Seater/24 Seater/26 Seater) हेतु जिला योजना कार्यालय, खूँटी में निविदा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, उसी दिन अप0 03:00 बजे उप विकास आयुक्त, खूँटी के कार्यालय कक्ष विकास भवन में क्रय समिति के समक्ष दोनों निविदा खोली जायेगी, जिसमें निविदादाता/प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। पुर्ननिविदा की शर्तें खूँटी जिला के वेबसाईट <https://www.khunti.nic.in> पर देखा जा सकता है।

ह0/-

उप विकास आयुक्त,
खूँटी

पुर्ननिविदा की शर्तें

निविदादाता को निविदा दो भागों में अलग-अलग (मुहरबंद लिफाफा) में देना अनिवार्य होगा।

(क) तकनीकी निविदा

(ख) वित्तीय निविदा

(क) तकनीकी निविदा में निम्नलिखित कागजात संलग्न होना आवश्यक है :-

1. Authorised Dealer होने का प्रमाण-पत्र।
2. अद्यतन आयकर एवं विक्रीकर का प्रमाण-पत्र।
3. Pan No./GST No.
4. गुणवत्ता प्रमाण-पत्र।
5. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि उनका फर्म किसी सरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है।
6. मो0 25,000.00 रू0 का डिमांड ड्रॉफ्ट जो उपायुक्त, खूँटी के पदनाम से देय हो, संलग्न करना आवश्यक है।
7. तकनीकी रूप से सफल निविदादाता का वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(ख) वित्तीय निविदा

उपरोक्त TATA Yellow Winger School Van BS VI (Registration/Insurance/GST Included) एवं School Bus BS VI (21 Seater/24 Seater/26 Seater) सभी शुल्कों के साथ दर की विवरणी।

(ग) अन्य शर्तें

1. चयनित फर्म/एजेंसी को कार्यादेश प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर TATA Yellow Winger School Van BS VI एवं School Bus BS VI (21 Seater/24 Seater/26 Seater) की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा शर्तों में परिवर्तन लाने/बिना कारण बताए निविदा रद्द करने अथवा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का उपायुक्त, खूँटी को अधिकार सुरक्षित होगा।

10/10/2020
उप विकास आयुक्त,
खूँटी